

फाइल सं. प्रशा0/ VIII / 8210 /SAO/Classification

दिनांक:20/11/2019

सेवा में

- ✓ सभी रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक / प्रधान लेखा नियंत्रक (निर्माणियां)
- रक्षा लेखा नियंत्रक / लेखा नियंत्रक (निर्माणियां)
- प्रशासन 4 (स्थानीय)

**विषय :** रक्षा लेखा विभाग में “वरिष्ठ लेखा अधिकारी” के पद का समूह ‘क’ में वर्गीकरण ।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्णय लिया गया है कि रक्षा लेखा विभाग में वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद को विद्यमान वेतन स्तर में कोई परिवर्तन किए बिना तत्काल प्रभाव से समूह ‘क’ में वर्गीकृत कर दिया जाए ।

2. इसके परिणामस्वरूप उक्त पद की भूमिका एवं दायित्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा निपटाए जा चुके मामलों (जैसे कि वरिष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति, जे.टी.एस. में प्रवेश तथा अनुशासनिक मामले आदि) को पुनः नहीं खोला जाएगा ।
3. संबंधित अधिकारी/अधिकारियों के संबंध में कृपया कार्यालय आदेश भाग-2 प्रकाशित करें तथा उसकी एक प्रति इस मुख्यालय कार्यालय को भी प्रेषित करें ।

  
(अमित गुप्ता)



रक्षा लेखा वरि0 उप महानियंत्रक (प्रशासन)

प्रतिलिपि:

1. एन्ड्रू ए  
रक्षा लेखा विभाग (समन्वय) आपके आई.डी. संख्या .F.No.4(1)/DAD/C/2019 दि. 19 नवम्बर, 2019 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
2. सूचना एवं प्रौद्योगिकी  
अनुभाग (आन्तरिक) कृपया इस प्रपत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दें ।

  
(अमित गुप्ता)

रक्षा लेखा वरि0 उप महानियंत्रक (प्रशासन)

	<p>कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक उलान बटार रोड, पालम, दिल्ली कैंन्ट-110010 <b>CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS</b> <b>ULAN BATAR ROAD, PALAM, DELHI CANTT-110010</b> Phone-011-25675480, 25665708, Fax-011-25674806, Email-hqadmin8.dad@hub.nic.in</p>	
---	---	---

File No AN/VIII/8210/SAO/Classification

Dated: 20/11/2019

To

- ✓ All PCDAs/PCA(Fys)  
CDAs/CsFA  
Admin IV (Loca

**Subject: Classification of the post of Senior Accounts Officer as Group 'A' in Defence Accounts Department.**

It has been decided with the approval of the competent authority that the post of Senior Accounts Officer in Defence Accounts Department would be classified as Group 'A' with immediate effect without any change in existing Pay Level of the post.


2. Consequent to this, there will be no change in role and function of the said post and the settled cases (such as promotion to the post of SAO, induction into JTS and disciplinary cases etc.) will not be reopened.

3. A Part-II Office Order(s) may be published in respect of the concerned officer(s) and forwarded to this HQrs office.

  
(Dr Amit Gupta)  
Sr Dy CGDA (AN)

**Copy to :**

1. ~~AF~~ A DAD (Coord) For information only w.r.t. MoD (Fin) ID No.F.No.4(1)/DAD/C/2019 dated 19<sup>th</sup> Nov, 2019.
2. IT&S Section (Local) with a request to upload the circular on official website.

  
(Dr Amit Gupta)  
Sr Dy CGDA (AN)